## फौज0प्र0क. 144 / 18

## <u>न्यायालयः— अमूल मण्डलोई न्यायिक मजिस्टै्ट प्रथम श्रैणी अंजड़,</u> <u>जिला बड़वानी</u> (म0प्र0)

<u>फौज0प्र0क. 144 / 18</u> संस्थित दि. 02.05.18

 म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़ जिला–बडवानी म.प्र.

---अभियोजन

1. भोलुराम पिता लोणीया, उम्र 19 वर्ष, निवासी हरणगांव सोल्यापुरा, जिला बड़वानी

---अभियुक्त

## निर्णय (आज दिनांक 02/05/2018 को घोषित किया गया)

- 01. अभियुक्त भोलुराम पर धारा 34 (1) (क) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 09.02.2018 को शाम 05:50 बजे के लगभग हरणगांव सोलियापुरा में 10 लीटर कच्ची महुँआ शराब अपने आधिपत्य में रखी, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नही था।
- 02. प्रकरण में विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त भोलुराम ने अभियोजित अपराध को स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव में स्वीकार किया है।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.02. 2018 को थाना अंजड़ पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक परमांद यादव को मण्डवाडा शिकायत की जांच के उपरांत हरणगांव सोलियापुरा पहुंचने पर समृह की महिलाये मिली और एक आवेदन देकर बताया कि भोलूराम पिता लोणीया भीलाला अपने घर पर शराब बेच रहा है सूचना पर राहगीर पंचान जितेन्द्र व रघुविर को अवगत कराकर महिलओं द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचा जहा एक व्यक्ति बैटा मिला जिसके पास में एक केन मिली। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भोलुराम पिता लोणीया भीलाला निवासी हरणगांव बताया उसके कब्जे की केन चेक करने पर उसमें 10 लीटर कच्ची मह्आ शराब पाई गई। उससे शराब का लाईसेंस पूछे जाने पर लाईसेंस नहीं होना बताया। उसका उक्त कृत्य धारा 34 आबकारी अधिनियम का होने से 10 लीटर कच्ची महुँआ शराब जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर अभियुक्त भोलुराम के विरूद्ध थाने का अपराध क 61/18 अंतर्गत धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- **04.** अभियुक्त भोलुराम ने इस निर्णय की कंडिका 1 में वर्णित सभी आरोपो को स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव में स्वीकार किया गया।
- 05. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है-

क्या अभियुक्त भोलुराम पिता लोणीया ने दिनांक 09.02. 2018 को शाम 05:50 बजे के लगभग हरणगांव सोलियापुरा में 10 लीटर कच्ची महुँआ शराब अपने आधिपत्य में रखी, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नही था?

## सकारण निष्कर्ष

- 6— अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के असल होने को अभियुक्त ने स्वीकार किया है तथा यह व्यक्त किया है कि उसने उक्त अपराध किया है। अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से तथा अभियुक्त द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के द्वारा धारा 34—1—क म.प्र. आबकारी अधिनियम का अपराध करना प्रमाणित पाये जाने से उसे धारा 34—1—क म.प्र. आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।
- 7— दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया, अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र के अवलोकन से अभियुक्त की पूर्व की कोई दोषसिद्धि होना अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। उक्त स्थिति में अभियुक्त को 34—1—क म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000/— रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिकृम में अभियुक्त को 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगताई जाने का आदेश दिया जाता है।
- 08. प्रकरण में जप्तशुदा 10 लीटर कच्ची महुँआ शराब अपील अविध पश्चात अपील ना होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा मे सम्पत्ति का निराकरण अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित कर घोषित किया गया

(अमूल मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड, जिला बडवानी (म.प्र.) (अमूल मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड, जिला बडवानी (म.प्र.)